

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. 2117-127-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 मार्च, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०११

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर ( संशोधन ) अधिनियम, २०११

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ३ का संशोधन.
४. धारा १३ का स्थापन.
५. धारा १४ का स्थापन.
६. अनुसूची-२ का संशोधन.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०११

### मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर ( संशोधन ) अधिनियम, २०११

[ दिनांक 31 मार्च, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ अप्रैल २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई ]

#### मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा २ का संशोधन.

“(ख ख) “औद्योगिक विकास केन्द्र” और “औद्योगिक क्षेत्र” से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जो औद्योगिक गतिविधि के लिए विकसित तथा राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया हो;”

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (१) में, प्रथम परंतुक में, खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

धारा ३ का संशोधन.

“(पांच) अनुसूची-२ और अनुसूची-३ में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के संबंध में, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा स्थापित किसी औद्योगिक इकाई द्वारा, एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में या तो औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा विकसित उसी औद्योगिक विकास केन्द्र के भीतर या उसी औद्योगिक क्षेत्र के भीतर कच्चे माल के रूप में उपभोग हेतु प्रवेश कराया जाता है;

(छह) अनुसूची-२ और अनुसूची-३ में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के संबंध में, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा स्थापित किसी औद्योगिक इकाई का ऐसा अर्द्धनिर्मित उत्पाद हो, जिसे मध्यवर्ती प्रसंस्करण या परिष्करण (फिनिशिंग) के लिए किसी भिन्न स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी औद्योगिक इकाई को अंतरित किया जाता है और ऐसे प्रसंस्करण या परिष्करण (फिनिशिंग) के पश्चात् अंतिम विक्रय योग्य उत्पाद के निर्माण हेतु मूल इकाई को वापस अंतरित किया जाता है;

(सात) अनुसूची-२ और अनुसूची-३ में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के संबंध में, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा स्थापित किसी औद्योगिक इकाई द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाई के एक से अधिक स्थानीय क्षेत्र में स्थापित होने या विस्तारित होने के कारण, प्रवेश कराया जाता है;”

४. मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा १३ का स्थापन.

“१३. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, वेट अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियम, जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं, जिसमें विवरणियों, निर्धारण, स्व निर्धारण, पुनर्निर्धारण, कर का भुगतान एवं वसूली, लेखा, कर के अपवंचन का पता चलाना तथा उसका निवारण, प्रतिदाय, अपील, पुनरीक्षण, परिशोधन, अपराध तथा शास्तियों, और अन्य विविध मामलों से संबंधित उपबंध सम्मिलित हैं यथावश्यक परिवर्तन सहित, किसी व्यापारी या व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत तथा देय प्रवेशकर, ब्याज या शास्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि ये उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस

वेट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना.

अधिनियम में समाविष्ट कर लिये गये हों और यह समझा जायेगा कि उन उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं यथावश्यक परिवर्तन सहित उन सुसंगत उपबंधों के अधीन बनाये गये या जारी किये गये थे / जारी की गई थी जो इस अधिनियम में इस प्रकार समाविष्ट किए गए हैं.”

५. मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा १४ का स्थापन.

“१४. इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम का प्रशासन, जहां तक कि वह व्यापारियों या व्यक्तियों से प्रवेश कर के उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण से संबंधित है, वेट अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में निहित होगा, और तदनुसार वे प्राधिकारी जो वेट अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण करने और उसके संदाय का प्रवर्तन कराने के लिए तत्समय सशक्त हैं, इस अधिनियम के अधीन व्यापारी या व्यक्ति द्वारा देय प्रवेश कर का जिसके अन्तर्गत कोई ब्याज या शास्ति भी है, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण और उसके संदाय को इस प्रकार प्रवर्तित कराएंगे मानो ऐसे व्यापारी या व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन या वेट अधिनियम के उपबंधों के, जो धारा १३ के अधीन व्यापारियों या व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत प्रवेश कर के संबंध में लागू किए गए हैं, अधीन देय कर या ब्याज या शास्ति उस अधिनियम के अधीन देयकर या ब्याज या शास्ति है और इस प्रयोजन के लिए वे उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे.”

कर का निर्धारण, संग्रहण आदि.

६. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में, भाग-एक में,—

अनुसूची-२ का संशोधन.

(एक) अनुक्रमांक १ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“१. (क) सभी प्रकार की इस्पात की छड़ों तथा एंगल्स को छोड़कर लोहा २  
तथा इस्पात जैसा कि वह केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, १९५६  
(१९५६ का ७४) की धारा १४ के खण्ड (चार) में विनिर्दिष्ट है,

(ख) सभी प्रकार की इस्पात की छड़ें तथा एंगल्स ५”;

(दो) अनुक्रमांक ३ के सामने, कॉलम (३) में, अंक “२” के स्थान पर, अंक “३” स्थापित किया जाए.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. 2118-127-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 9 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 9 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH  
PAR KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 3.
4. Substitution of Section 13.
5. Substitution of Section 14.
6. Amendment of Schedule II.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 9 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR  
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 31st March, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st April, 2011.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

**Short title, and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**Amendment of section 2.**

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

“(bb) “industrial growth centre” and “industrial area” means an area which has been developed for industrial activity and notified as such by the State Government;”.

**Amendment of Section 3.**

3. In Section 3 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso, after clause (iv), the following new clauses shall be inserted, namely :—

“(v) in respect of goods specified in Schedule II and Schedule III, which are entered by an industrial unit established by a registered dealer, from one local area to another local area either within the same industrial growth centre developed by Audyogik Kendra Vikas Nigam or within the same industrial area, for consumption as raw material;

(vi) in respect of goods specified in Schedule II and Schedule III, being semi-finished product of an industrial unit established by a registered dealer, which are transferred to an industrial unit situated in a different local area for intermediate processing or finishing and after such processing or finishing, are transferred back to the original unit for manufacture of final saleable product;

(vii) in respect of goods specified in Schedule II and Schedule III, which are entered by an industrial unit established by a registered dealer into a local area, by virtue of the industrial unit being established in or spread over more than one local area.”.

**Substitution of Section 13.**

4. For Section 13 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—

**Certain provisions of Vat Act to apply.**

“ 13. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the provisions of the Vat Act and the rules made and orders and notifications issued thereunder, including the provisions relating to returns, assessment, self-assessment, reassessment, payment and recovery of tax, accounts, detection and prevention of tax evasion, refund, appeal, revision, rectification, offences and penalties, and other miscellaneous matter, shall *mutatis mutandis* apply to a dealer or person in respect of the entry tax, interest or penalty levied and payable under this Act as if these provisions were *mutatis mutandis* incorporated in this Act, and it shall be deemed that the rules made and orders and notifications issued under those provisions were *mutatis mutandis* made or issued under the relevant provisions as so incorporated in this Act.”.

5. For Section 14 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—

**Substitution of Section 14.**

“ 14. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder the administration of this Act in so far as it relates to levy, assessment and collection of entry tax from dealers or persons shall vest in the authorities specified in the Vat Act, and accordingly the authorities for the time being empowered to assess, reassess, collect and enforce the payment of any tax under the Vat Act shall assess, reassess, collect and enforce the payment of entry tax including interest or penalty payable by a dealer or a person under this Act as if the tax including interest or penalty payable by such dealer or person under this Act or under the provisions of the Vat Act as made applicable under Section 13 to dealers or persons in relation to entry tax levied under this Act, is a tax or interest or penalty payable under that Act and for this purpose they may exercise all or any of the powers conferred upon them by or under that Act.”.

**Assessment, collection, etc. of tax.**

6. In Schedule II to the Principal Act, in part-I—

**Amendment of Schedule II.**

(i) for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“1. (a) Iron and steel as specified in clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), other than all kinds of steel bars and angles. 2

(b) All kinds of steel bars and angles. 5”;

(ii) against serial number 3, in column (3), for the figure “2”, the figure “3” shall be substituted;